उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(नजारत शाखा)

–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची के द्वारा लातेहार जिले के अंचल महुआडाड के अन्तर्गत नेतरहाट में नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस का रख–रखाव एवं संचालन आऊटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उक्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से लातेहार जिले के पुराने एवं नये परिसदन भवन का सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्नांकित आवश्यक शर्तो के साथ झारखंड राज्य के विभिन्न संचालन संस्था एवं प्रतिष्ठानों से निविदा आमंत्रित किया जाता है :–

1. आंतरिक साफ–सफाई जिसके अंतर्गत कमरों, प्रसाधन गृहों, रसोईघर सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई शामिल होगी।
2. नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख–रखाव, बगीचा में पेड़, फूल एवं घास आदि का रख–रखाव।
3. हाऊस कीपिंग जिसके अंतर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होंगे :–
   - नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस में लगे ईलेक्ट्रॉनिक्स विद्युतीय उपकरणों एवं जलापूर्ति का रख–रखाव।
   - नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस के कमरों एवं रसोईघर के फर्नीचर उपस्कर आदि की मरम्मति एवं रख–रखाव।
   - नवनिर्मित गेस्ट हाउस में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएं यथा साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।
   - बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, तौलिया इत्यादि की आपूर्ति, सफाई एवं धुलाई।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।
5. अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
6. नवनिर्मित गेस्ट हाउस में ठहरे हुए अतिथियों को भोजन/ नाश्ता/ चाय आदि से हाने वाली आय संचालन संस्था को दी जा सकेगी।
7. उपरोक्त कार्यो के निष्पादनार्थ निविदा समर्पित करने वाले संचालक संस्था एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा निम्न प्रकार दो बंद लिफाफा में जमा करेंगे :–

निविदा की शर्तें :–

- सभी निविदाएं द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जाएगी।
- निविदादाता एक लिफाफा पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें मांगें गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र डालेंगे एवं एसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
- दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वित्तीय बीड'' अंकित करेंगे उस लिफाफे के अंदर दर अंकित करेंगे तथा उस लिफाफे में डालकर मुहरबंद करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं डाला जाएगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एव पता साफ–साफ लिखेंगे।
- तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफें को तिसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेंगे और उस पर साफ–साफ लिखेंगे नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस हेतु निविदा। लिफाफे पर अपना नाम, पता एवं दुरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, लातेहार (जिला नजारत शाखा, समाहरणालय, लातेहार) के नाम से मुहरबंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेंगे/जमा करेंगे।

- पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और यथासंभव निविदादाताओं को उपस्थिति में उनका मुल्यांकन किया जाएगा। निविदादाता को उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से मो0 20.00 (बीस हजार) रूपये का बैक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।
- निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के लिए विगत दो वर्ष का आयकर रिटर्न, आडिट रिपोर्ट, वाणिज्यिक बिक्री कर का स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं ISO/ ISI, FSSAI प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- निविदादाता को उपायुक्त स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ–पत्र समर्पित करना होगा जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि उनके प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज नही किया गया है।
- निविदादाता के द्वारा सभी प्रकार के कर यथा सेवा कर JST, CST आदि सहित दर अंकित करना होगा।
- निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अथवा निविदा निस्तारण समिति के पास सुरक्षित रहेगा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही किया जायेगा।
- निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 20.00 (बीस लाख) होना चाहिए। निविदादाता को किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग, हाऊस कीपिंग का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
- सफल निविदादाता को आऊटसोर्सिंग हेतु 01 (एक) वर्ष का एकरानामा करना होगा।
- प्रतिष्ठान के द्वारा कार्य संतोषजनक नही होने की स्थिति में कभी भी एकरानामा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा रद्ध किया जा सकता है।

8. दूसरे लिफाफा में निविदादाता को उपरोक्त सेवाएं देने हेतु वित्तीय बीड में दर उपलब्ध कराना होगा।
9. नवनिर्मित गेस्ट हाउस के संचालन आऊटसोर्सिंग के कमरों का आरक्षण एवं सभागार का आरक्षण से प्राप्त किराये एवं किसी अन्य प्रकार से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा किया जायेगा, जिस पर निविदादाता कोई दावा नही कर सकेंगे।
10. जिला प्रशासन द्वारा संचालन व्यवस्था की निगरानी हेतु केयर टेकर की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
11. किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में यदि संचालक संलिप्त पाये जाते है तो बिना किसी सूचना के एकरारनामा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा एवं इसे किसी मंच पर चुनौती नही दी जा सकेगी।
12. नवनिर्मित उपायुक्त कार्यालय (कैम्प) एवं गेस्ट हाउस के संचालन आऊटसोर्सिंग के अन्तर्गत एजेन्सी के चयन में स्थानीय निबंधित एजेन्सी को प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त शर्त मॉडल स्वरुप है। इनमें आवश्यकतानुसार परिर्वतन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त शर्तो, निहित निर्देष के अनुसार निविदादाताओं के द्वारा दिनांक 17/11/17 को 4 P.M बजे पूर्वा0/अप0 तक उपायुक्त कार्यालय के नजारत शाखा में स्वयं अथवा निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार, जिला नजारत शाखा, लातेहार समाहरणालय के पते पर निविदा जमां कर सकते है। जिसे दिनांक 18/11/17 को 1 P.M बजे पूर्वा0/अप0 में उपायुक्त के सभाकक्ष में खोला जायेगा, जिसमें आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्राप्त निविदा संतोषजनक एवं नियमानुसार नही पाये जाने की स्थिति में इस निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त, लातेहार
02/11/17.

नजारत उप समाहर्त्ता
लातेहार
30/10/17

31/10/17
अपर समाहर्त्ता
लातेहार

ज्ञापांक 185 / नजा0, दिनांक 02 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार

अपर समाहर्त्ता
लातेहार

नजारत उप समाहर्त्ता